

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

● 03 महिला सम्मान योजना की घोषणा दिल्ली विधानसभा चुनाव में बनेगी गेम चेंजर ● 06 कक्षाओं में परिवर्तन: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-संरक्षित शिक्षा ● 08 अमरदा एयर पोर्ट होगा की नहीं होगा साधारण लोगों की मन में आशंका

दिल्ली परिवहन विभाग ने राजपत्र अधिसूचना जारी कर किया एसटीए बोर्ड का गठन

दिल्ली के व्यवसायिक वाहनों के मालिको ने वाहन जांच में आ रही परेशानियों से वीरेंद्र सचदेवा को अवगत करवा कर मदद की गुहार लगाई



संजय बाटला

नई दिल्ली। परिवहन विभाग द्वारा नई स्कीम, पालिसी और नियंत्रण संबंधित नए नियमों को लागू करने के लिए एसटीए बोर्ड में फैसला लेने अनिवार्य है। दिल्ली में कोरोना वायरस (2020) के आने से अब तक नए बोर्ड का गठन नहीं किया गया था और सभी आदेश परिवहन आयुक्त अपनी इच्छा से जारी करते आ रहे थे पर अब दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा एसटीए बोर्ड का गठन कर उसकी राजपत्र अधिसूचना भी जारी कर दी।

परिवहन विभाग द्वारा अनगिनत वर्षों के बाद एसटीए बोर्ड में किसी विधायक को एसटीए बोर्ड का सदस्य मनोनीत करने की जगह एक्सपर्ट्स को एसटीए बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया।

दिल्ली की जनता को नए वाहनों के नियमों को बनाने में सक्षम एसटीए बोर्ड में एक्सपर्ट्स के होने से फायदा मिल सकता है पर आज की तारीख में कार्यरत परिवहन आयुक्त के रहते जन्मिहत में निर्णय और नए नियम आने में संदेह है क्योंकि परिवहन आयुक्त द्वारा अपने कार्यकाल में अभी तक जारी सभी आदेश जनता के हित की जगह सरकारी राजस्व इजाफा करवाने में देखने को मिले।

(आप सभी की जानकारी हेतु राजपत्र अधिसूचना सलग्न)।



संजय बाटला

नई दिल्ली। अभिमन्यु त्यागी राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली के वाहन मालिकों/चालकों और कारोबारियों ने दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से मुलाकात कर परिवहन आयुक्त द्वारा बिना सोचे समझे और बिना पूर्ण जानकारी प्राप्त किए जारी आदेश से दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिकों और कारोबारियों को आ रही परेशानियों से अवगत करवाया और उनसे इसके लिए जल्द से जल्द समाधान निकालवाने की गुहार लगाई।

इस मुलाकात में अभिमन्यु त्यागी के साथ केके छाबड़ा, राजू कक्कड़, विनोद नेगी, देवेन्द्र यादव और सुभाष त्यागी उपस्थित थे। 20 मिनट की इस मुलाकात में अभिमन्यु ने सचदेवा को बताया

1. झूलझुली वाहन जांच शाखा में इतने

वाहनों को जांच करने की क्षमता ही नहीं है जितने वाहनों को वहां वाहन जांच के आदेश जारी किए गए

2. झूलझुली वाहन जांच शाखा में वाहन मालिकों/चालकों और वाहनों की सुरक्षा भी नहीं है जिसके बारे में दिल्ली पुलिस तक को जानकारी है
3. झूलझुली वाहन जांच शाखा में परिवहन अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जान सुरक्षित नहीं है जिस कारण कोई अधिकारी वीआरएस तक दे चुके हैं और परिवहन विभाग द्वारा 2 एफआईआर भी दर्ज करवाई जा चुकी हैं
4. झूलझुली वाहन जांच शाखा में जिस कंपनी द्वारा एटीएस संयंत्र लगाया हुआ है उसका टेंडर खत्म हुए काफी समय हो चुका है और परिवहन आयुक्त द्वारा बार बार एक्टेशन मिलने प्राप्त कर के काम कर रही हैं।
5. बुराड़ी वाहन जांच शाखा में

अनगिनत एटीएस संयंत्र और उसके चलने के लिए आवश्यक पूरा सिस्टम उपलब्ध है फिर भी परिवहन आयुक्त उसको शुरू करवाने की जगह झूलझुली वाहन जांच शाखा में कार्यरत कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से एक्सटेंशन देकर क्षमता से अधिक वाहनों को वहां भेजकर वाहन मालिकों को परेशानियों में धकेल रहे हैं

6. आज दिल्ली के व्यवसायिक वाहनों को परिवहन आयुक्त द्वारा जारी इस आदेश के कारण वाहन जांच की अपॉइंटमेंट तक भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है और बिना वाहन जांच प्रमाण पत्र के सड़को पर वाहन नहीं चला पा रहे और जुर्माने के साथ थुखमरी के कगार पर पहुंचते जा रहे हैं।

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सभी तथ्यों को सुनने और सबूतों के साथ समझने के बाद 15 दिन के अंदर ही इस समस्या का समाधान करवाने का वायदा दिया।

दिल्ली के इस इलाके से हटाया जाएगा ट्रैफिक सिग्नल, लोगों को जाम से मिलेगा छुटकारा

परिवहन विशेष न्यूज

विकास मार्ग पर लगने वाले जाम से यात्रियों को जल्द ही निजात मिलेगी। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से कड़कड़ी मोड़ क्षेत्र के बीच करीब 2.5 किमी लंबे मार्ग पर निर्माण विहार व प्रीत विहार ट्रैफिक सिग्नल को खत्म कर यू-टर्न बनाए जाएंगे। इसके हो जाने के बाद वाहनों का जाम नहीं लगेगा और यातायात सुचारु रूप से चलेगा।

नई दिल्ली। विकास मार्ग से जाम समाप्त करने और सुरक्षित यातायात के लिए लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन (laxmi nagar metro station) क्षेत्र से कड़कड़ी मोड़ क्षेत्र के बीच दिल्ली मेट्रो लाइन (Delhi metro line) के नीचे करीब 2.5 किमी लंबे मार्ग पर निर्माण विहार व प्रीत विहार ट्रैफिक सिग्नल को खत्म करने की तैयारी है।

तीन लेन के इस मार्ग पर प्रतिदिन खरीददारी के लिए आने वाले हजारों लोगों के वाहनों की पार्किंग के

लिए उपलब्ध सीमित स्थान के कारण वाहन मुख्य मार्ग पर ही पार्क कर दिए जाते हैं, जिससे यातायात आवागमन प्रभावित रहता है।

विभाग जल्द ही परीक्षण करेगा शुरू

साथ ही कुछ-कुछ सौ मीटर दूरी पर ही ट्रैफिक सिग्नल के कारण रुके वाहन यातायात प्रवाह को बाधित करते रहते हैं, जो व्यस्त समय में भीषण जाम में परिवर्तित हो जाता है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को इसकी योजना साझा की गई, विभाग जल्द ही इसपर परीक्षण शुरू करेगा।

अगस्त व नवंबर माह में यातायात पुलिस (Delhi traffic police) उपायुक्त सहित सहायक आयुक्त पुलिस व यातायात निरीक्षक के साथ विकास मार्ग पर साझा निरीक्षण करने के बाद इस योजना को पीडब्ल्यूडी से साझा किया गया है। इस मार्ग पर अनेक आवासीय क्षेत्र होने के साथ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर से संबंधित काफी दुकानें हैं।

यहां विभिन्न कंपनियों को शोरूम, माल, मेट्रो स्टेशन, सरकारी कार्यालय आदि हैं। यहां हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन खरीदारी के लिए आते हैं। यह मार्ग पूर्वी दिल्ली के महत्वपूर्ण भागों को दिल्ली के मध्य भाग से जोड़ता है। इसमें बीच-बीच में कई मार्ग



भी जुड़ते हैं।

सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपराध की घटनाओं में भी होता है इजाफा

इसलिए यातायात का दबाव इस मार्ग पर काफी रहता है। इस मार्ग पर दिनभर लगने वाले जाम के कारण समय, ईंधन बर्बाद होने के साथ प्रदूषण भी

बढ़ता है। सड़क दुर्घटनाएं और अपराध की घटनाएं भी होती हैं।

योजना के तहत इस मार्ग पर ट्रैफिक सिग्नल वाले तीराहे व चौराहों को बंद कर बीच-बीच में यू-टर्न बनाया जाएगा। यू-टर्न के कारण वाहनों का जाम न लगे, इसके लिए हर यू-टर्न के पास आफसेट यानी

यू-टर्न से पहले सेंट्रल वर्ज से रोड पर तीन से चार फीट करीब 20-30 मीटर हिस्सा को बैरिकेट किया जाएगा।

इससे सीधे निकलने वाले वाहन यू-टर्न ले रहे वाहनों में मिलेंगे नहीं। इससे यू-टर्न के लिए वाहनों को जगह मिल जाएगी। ये यू-टर्न बंद किए गए

डिवाइडर से लगभग 150 आगे और पीछे बनाने की योजना है। इससे आसपास के इलाके में जाने वाले वाहन चालकों को भी सुविधा होगी और यायात रुकेगा नहीं।

इन सभी यू-टर्न पर ऊंचाई नियंत्रण उपकरण भी लगाया जाएगा ताकि बड़े वाहन इसमें प्रवेश न करें। सुरक्षित यातायात के लिए यहां पर्याप्त मात्रा में सड़क सुरक्षा उपकरण जैसे, रिफ्लेक्टर्स, ब्लिंक्स, संकेतक, पेंट मार्किंग, गति नियंत्रक की व्यवस्था की जाएगी। यह प्रस्ताव एनजीओ गुरु हनुमान सोसाइटी ऑफ भारत ने तैयार किया है।

एनजीओ के महासचिव अतुल रणजीत कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत पांच ट्रैफिक सिग्नल को खत्म करना है। फैलाहल इसे पहले चरण में दो ट्रैफिक सिग्नल खत्म करने की तैयारी है। इससे विकास मार्ग पर प्रतिदिन के जाम से राहत पाने में मदद मिलेगी।

पूर्वी रेंज जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रावल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा गया है। प्रीत विहार और निर्माण विहार की लाल बत्ती खत्म कर दी जाएगी, उनकी जगह दो यू-टर्न बनाए जाएंगे। कड़कड़ी मोड़ के बाद लक्ष्मी नगर लाल बत्ती पड़ेगी। जाम खत्म करने के लिए यह कवायद की जा रही है।

टॉल्वा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

'वायु प्रदूषण के प्रतिबंधों में ढील दें, पूरे साल आतिशबाजी पर लगे बैन', सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

जस्टिस अभय एस. ओका और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने गुरुवार को वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों (हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान) से कहा कि वे अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। साथ ही केंद्र सरकार सीक्यूरिटी में विशेषज्ञों के तौर पर पर्यावरण कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्रों के एक्सपर्ट को सलाहकार के तौर पर नियुक्त करें।



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले पर कहा कि वायु प्रदूषण के स्टेज-2 से निपटने के लिए ग्रेप-4 के प्रतिबंधों में ढील दें और इसे अगले आदेश तक जारी रखें। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों से पूरे साल पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बारे में अंतिम फैसला लेने को कहा।

जस्टिस अभय एस. ओका और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने गुरुवार को वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और अन्य एनसीआर राज्यों (हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान) से कहा कि वे अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। साथ ही केंद्र सरकार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएएम) में विशेषज्ञों के तौर पर पर्यावरण, कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्रों के सर्वोच्च विशेषज्ञों को सलाहकार के स्तर पर नियुक्त करें।

ग्रेपपरपिछला आदेश जारी रहेगा: सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि ग्रेड्ड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) पर उसका पिछला आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा और साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएएम) को दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए संशोधित उपायों के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए, इसने यह भी सुझाव दिया कि सरकारी विभागों को इलेक्ट्रिक

वाहनों का उपयोग शुरू करना चाहिए।

पीठ ने कहा कि न केवल वायु प्रदूषण बल्कि ध्वनि प्रदूषण पर भी रोक लगाने के लिए प्रतिबंध की आवश्यकता है। इसने नोट किया कि एनसीआर राज्यों में पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध के मुद्दे को अभी तक संबोधित नहीं किया गया है।

पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर राज्य फैसले लें: सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने कहा, रहम संबंधित राज्य सरकारों को पूरे

साल पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बारे में अपने फैसले पेश करने का निर्देश देते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब वह पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है, तो इसमें उनके निर्माण, भंडारण, विक्री और वितरण पर प्रतिबंध भी शामिल होगा। इस पर दिल्ली सरकार ने खंडपीठ को बताया कि जनवरी तक पटाखों पर प्रतिबंध लागू है। वह जल्द ही पूरे साल प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

